INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02888889774427V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02888889774427V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 02:47 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14474304/ LALGANJ/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1447430401361291765770V
Purchased by	:	ANJANEE KUMAR SINGH SO SURJU SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ANJANEE KUMAR SINGH SO SURJU SINGH
Second Party	:	ANJANEE KUMAR SINGH SO SURJU SINGH
Stamp Duty Paid By	:	ANJANEE KUMAR SINGH SO SURJU SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

Signature...
ACC Name - Vijendra Kumar
ACC Code - UP14474304
Add. - Lalganj, District- Azamgarh
Mobile # 9918247484, L. No. - 42
Tehsil- Lalganj, District - Azamgarh

Please write or type below this line

(प्रारूप– "अ")

हम सतीश कुमार सिंह एवं श्री अंजनी कुमार सिंह, सोसाइटी ट्रस्ट गौतम एजुकेशन ट्रस्ट, 2 डी, 1504, ड्रीम्स एल0बी0एस0 मार्ग, भाण्डुप वेस्ट, मुम्बई–400078 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आर्या रामरती देवी फार्मेसी कालेज, ग्राम–कोटाकुर्ग, पोस्ट–नरसिंहपुर, तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

1/9/23

Statutory Alert:

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट गौतम एजुकेशन ट्रस्ट, ग्राम–कोटापुजुर्ग, पोस्ट–नरसिंहपुर, तहसील–लालगंज, आजमगढ़ में गाटा सं0 403, 321 एवं 106 रकबा क्रमशः 0.481 हेक्टेयर, 0.252 हेक्टेयर एवं 0.399 हेक्टेयर कुल रकबा 1.132 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 403, 321 एवं 106 रकबा क्रमशः 0.481 हेक्टेयर, 0.252 हेक्टेयर एवं 0.399 हेक्टेयर कुल रकबा 1. 132. हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

1/9/22

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

1/9/23